शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, न्यू पाली रोड, जोधपुर–342005
दूरभाष 2729115, 2729186 फैक्स 0291–2722764

घास एंव जलाऊ लकडी की नीलामी सूचना

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी) के मुख्य परिसर, 729 परिसर, एवं विभिन्न प्रायोगिक क्षेत्रों में उगी घास की खुली नीलामी दिनांक 27.08.2019 को दोपहर 3.00 बजे से की जायेगी। इसके अतिरिक्त जलाऊ लकडी की मोहरबंद निवादाएं दिनांक 27.08.2019 को अपराह्न 2.00 बजे तक स्वीकार की जायेगी। नीलामी की शर्तो एंव नियमों की विस्तृत जानकारी हेतु सम्पदा अधिकारी, शु.व.अ.सं. जोधपुर से कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु संस्थान की वेबसाइट :http//afri.icfre.org पर देखें।

भण्डार अधिकारी
शुष्क वन अनुसंधान संस्थान,
जोधपुर

जलाऊ लकड़ी की

(06)

नीलामी की शर्ते

1. लकडी जहाँ पर जैसी हालत में है उसी स्थान से इकटठी कर उठानी होगी।
2. मोहरबंद लिफाफा के साथ 10000.00 रूपये (रूपये दस हजार मात्र) निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के पक्ष मे देय डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवाने होगें जो कि बाद में लौटा दिये जायेंगे।
3. जिसका प्रस्ताव स्वीकार होगा उनकी पूर्व की जमा अमानत राशि 10000.00 रूपये (रूपये दस हजार मात्र) बतौर अमानत राशि के तौर पर निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के पक्ष मे देय डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा कर ली जावेगी। अमानत राशि निर्धारित तिथि तक समस्त लकड़ी ले जाने के उपरान्त लौटा दी जाएगी।
4. सफल निविदादाता को 50000.00 रूपये (रूपये पचास हजार मात्र) राशि लकड़ी की लगभग अनुमानित दाम के तौर पर निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के पक्ष मे देय डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवाना होगी व लकड़ी तुलवाई के अनुसार, यह राशि कम होने पर निविदादाता को और जमा करवानी होगी व अधिक होने पर संस्थान द्वारा लौटा दी जाएगी।
5. सफल निविदादाता को 50000.00 रूपये (रूपये पचास हजार मात्र) तीन दिवस के अन्दर जमा कराने होगें। रकम जमा होने के पश्चात आदेश जारी कर दिया जावेगा। 50000.00 रूपये (रूपये पचास हजार मात्र) से लकडी का मूल्य अधिक होते ही लकडी की अतिरिक्त मात्रा उठाने से पूर्व 50000.00 रूपये (रूपये पचास हजार मात्र) निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के पक्ष मे देय डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में पुनः जमा करवाने होगें।
6. सबसे अधिक दर भरने वाली फर्म/ठेकेदार को ही लकडी उठाने की अनुमति दी जाएगी परंतु विभागीय दर अथवा इससे अधिक दर भरने वाले को ही नीलामी में मान्य माना जाएगा।
7. लकड़ियों की कटाई, लदाई, ढुलाई एवं तौल की व्यवस्था आपको स्वयं अपने स्तर पर ही करनी होगी तथा किसी भी अन्य प्रकार के व्यय का वहन स्वयं को ही करना होगा।
8. लकड़ियों का तौल, साईट प्रभारी के समक्ष कराना होगा और साइट प्रभारी की सहमति के पश्चात ही तौल रिकार्ड किया जायेगा जिस पर ठेकेदार/सफल निविदादाता एंव साइट प्रभारी के हस्ताक्षर होगें। संस्थान से लकडी का परिवहन सक्षम अधिकारी से गेटपास होने पर ही बाहर ले जाया जा सकेगा।
9. चिन्हित की हुई वक्ष प्रजातियों की लकड़ी ही नीलामी में शामिल होगी इसके अतिरिक्त अन्य लकड़ी काटना या ले जाना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है तथा ऐसी लकड़ी ले जाने की इजाजत नहीं है। इस संबंध में साईट प्रभारी से जानकारी प्राप्त करनी होगी।
10. समस्त लकड़ी निविदाता द्वारा अपने स्तर पर काट लेने, इकट्ठा कर लेने के बाद एक साथ तौल कराना होगा। सभी क्षेत्रों से किये गये तौल के आधार पर गणना की गई कुल राशि का समायोजन करने के पश्चात ही लकड़ी ले जाने की अनुमति होगी।
11. लकड़ी कटाई, तौल तथा ले जाने इत्यादि कार्य कार्यालय आदेश की दिनांक से 20 दिवस के अन्दर करने होंगे।
12. लकडी उठाने का कार्य नीयत अवधि में अधूरा छोड देने पर अमानत राशि एंव लकडी की जमा राशि जब्त कर जावेगी।
13. प्रथम निविदादाता के असफल होने पर द्वितीय निविदादाता को कार्यादेश जारी किया जावेगा तथा प्रथम निविदादाता की अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
14. निविदादाता फर्म को अपनी पहचान से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज जिसमें उसका पूरा पता एंव मोबाईल नंम्बर स्पष्ट लिख हो निविदाफार्म के साथ लगाना अनिवार्य होगा ।
15. नीलामी स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक, आफरी, जोधपुर के पास रहेगा।

मैं/हमने उक्त शर्तो का अध्ययन कर लिया है और मैं/हमकों उक्त सभी शर्ते स्वीकार है।

हस्ताक्षर..

नाम ....

स्थायी पता ....

....

दूरभाष/मोबाईल नं0 ....

S.O. E.O. DDO. HOD FRS

5. जिन क्षेत्रों में घांस कटाई का आदेश दिया जाएगा, उन्हे एक किनारे से आरम्भ कर समान रूप से सभी प्रकार की घांस को जड़ के पास से काटते हुए आगे बढ़ना होगा। छोड़–छोड़ कर घांस काटने की अनुमति नहीं होगी।
6. घास काटने के औजार एवं घांस को ले जाने के साधन की व्यवस्था क्रयकर्ता को स्वयं करनी होगी।
7. कार्यादेश के दिन से 45 दिन की अवधि तक घास की कटाई पूरी करनी होगी। कटाई एवं ले जाने के संबंध में समयावधि बढ़ाई नहीं जाएगी।
8. घास काटने का समय प्रातः 7.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक रहेगा।
9. घास नीलामी के क्षेत्रों में केवल घास काटने की ही इजाजत दी जाएगी व मवेशी चराने की इजाजत नहीं होगी। वहां उगे पेड़–पौधों को कोई नुकसान नहीं किया जायेगा, अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवेकानुसार क्षतिपूर्ति बतौर जुर्माना वसूल किया जाएगा। जिसमें अमानत राशि जब्त किया जाना भी सम्मिलित होगा। साथ ही भविष्य में होने वाली घास नीलामियों में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।
10. 729 आवासीय परिसर में से घास काटने के पूर्व वहां के रहवासी को सूचित करना होगा।
11. घास को बाहर ले जाने के लिये प्रवेश द्वारों से ही आना जाना होगा। घास को बाहर ले जाने के पूर्व चौकीदार को जांच करना आवश्यक होगा।
12. घास काटने वाले व्यक्तियों के नाम एंव पता कार्यालय को देने होंगे इनके अलावा अन्य व्यक्तियों को घास काटने के लिये अधिकृत नहीं किया जायेगा। (इस कार्य हेतु अधिकतम 06 व्यक्तियों को अधिकृत किया जा सकता है।)
13. परिसर की अन्य किसी सामग्री से छेडछाड करना सख्त मना होगा तथा किसी भी प्रकार का नुकसान करने पर हर्जाना खर्चा नीलामीकर्ता को देना होगा।
14. नीलामी को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर को होगा।
15. नीलामी की अधिकतम विक्रय को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर को होगा।

भण्डार अधिकारी
शुष्क वन अनुसंधान संस्थान,
जोधपुर

वितरण

1. --

----

2. संस्थान के सभी संबंधित फील्ड प्रभारी अधिकारियों को सूचनार्थ।
3. सुविधाएं एवं सेवाएं, शु. व. अ. सं., जोधपुर को भेज कर अनुरोध है कि कृपया इस सूचना को व्यापक तौर पर घास खरीददारों के मध्य परिचारित करवाने का कष्ट करें।
4. सुचना पट्ट।